अध्याय 7 अनुसंधान कार्यकलाप

उद्देश्य 5 : क्या चाय बोर्ड द्वारा आरम्भ किए गए और चाय बोर्ड द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान कार्यकलाप प्रभावी चाय विकास के परिणाम देने में प्रभावी थे।

अनुसंधान कार्यकलापों के लिए सहायता

7.1 चाय बोर्ड कुर्सियांग में दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (डीटीआर एण्ड डीसी) के माध्यम से चाय पर अनुसंधान कार्य प्रारम्भ किया जिसकी राज्य सरकार तथा चाय संघों की मांग पर, दार्जिलिंग चाय उद्योग की प्राथमिक रूप से अनुसंधान तथा विकास सहायता प्रदान करने के लिए 1977 में मंत्रालय द्वारा स्थापना की गई थी। मंत्रालय चाय बोर्ड के माध्यम से दो उद्योग आधारित चाय अनुसंधान संस्थाओं यथा चाय अनुसंधान संघ (टीआरए) तथा दक्षिण भारत संयुक्त बागान मालिक संस्था (युपीएएसआई–टीआरएफ) जो विभिन्न चाय संबंधित क्षेत्रों पर भी अनुसंधान कार्य करता है, के व्यय के पर्याप्त भाग को भी वित्तपोषित करता है। 2002–11 के दौरान बोर्ड को अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों के लिए मंत्रालय से ₹169.07 करोड प्राप्त हुए जिसमें डीटीआर एण्ड डीसी, टीआरए तथा यूपीएएसआई टीआरएफ और आई.टी. पोर्टल पर व्यय शामिल था। चाय बोर्ड ने इस अवधि के दौरान ₹171.91 करोड खर्च किए थे।

दार्जिलिंग चाय अनुसंधाान एवं विकास केन्द्र

7.2 इस केन्द्र का उद्देश्य विभिन्न वानस्पतिक तथा कृषि संबंधी पहलुओं, मिट्टी पहलुओं, जैव रसायन पहलुओं और दार्जिलिंग चाय के वनस्पति सुरक्षा पहलुओं पर अनुसंधान करना है। केन्द, विभिन्न बागानों को विशेष अनुरोधों पर परामर्शी सेवा भी देता है। इसके अध्यक्ष परियोजना निदेशक है। इसके चार प्रभाग/प्रयोगशालाएं नामतः फार्म प्रबन्धन, मृदा विज्ञान, जैव रसायन तथा वनस्पति सुरक्षा है। 21.6 हैक्टेयर का एक प्रयोगात्मक फार्म भी केन्द्र का एक भाग है।

दार्जिलिंग चाय उद्योग को अनुसंधान एवं विकास सहायता देने में विफलता

7.2.1 2002–09 के दौरान डीटीआर एण्ड डीसी ने चाय बोर्ड से योजनागत के अन्तर्गत ₹76.46 लाख तथा योजनेत्तर शीर्ष के अन्तर्गत ₹2.55 करोड प्राप्त किए। हमने देखा कि:

(क) डीटीआर एण्ड डीसी ने 2002–09 के दौरान योजनागत कार्यकलापों पर ₹73.57 लाख खर्च किया जो उचित अनुसंधान कार्यकलाप आरम्भ करने के लिए अपर्याप्त था।

(ख) केन्द्र में वैज्ञानिक स्टाफ[51] के 27 प्रतिशत पद रिक्त थे। उस हैसियत से केन्द्र उसके अधिदेश के अनुसार दार्जिलिंग चाय उद्योग की सहायता के लिए अनुसंधान कार्यकलाप आरम्भ करने के लिए पर्याप्त श्रमबल से सज्जित नहीं था।

(ग) दार्जिलिंग पहाडियों में स्टाफ की कमी के कारण चाय सम्पदाओं को विस्तार सेवाएं भी प्रदान नहीं की जा सकीं थी।

(घ) दार्जिलिंग में वर्ष 2004 में केवल एक सेमीनार आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण सेमीनार/विचार गोष्ठी/कार्यशाला आयोजित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं थे और चाय उद्योग से संबंधित लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित नहीं किए गए थे।

(ड़) केन्द्र ने 21 परियोजनाएं आरम्भ की और 2002–09 के दौरान आठ पूर्ण की गई थी। न तो चाय उद्योग के उपयोग हेतु कोई डिलिवरेबल्स हस्तान्तरित किए गए थे और न ही कोई पेटेन्ट दाखिल किए गए थे। चाय बोर्ड ने केन्द्र के लिए अनुसंधान प्रकाशनों हेतु लक्ष्यो को भी निर्धारित नहीं किया था। केन्द्र ने 2002–09 के दौरान भारतीय जर्नल में आठ अनुसंधान पेपर और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक अनुसंधान पेपर प्रकाशित किया परन्तु इनका प्रभाव कारक भेजा नहीं गया था।

[51] मार्च 2009 तक 11 की संस्वीकृत संख्या के विरूद्ध केवल 8 वैज्ञानिक कार्मिक तैनात थे।

(च) विशेषज्ञ वैज्ञानिक सदस्यों वाली वैज्ञानिक सलाहकार समिति पहली तथा मध्यम स्तर समितियों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी है। हमने देखा कि समिति की यथा अनिवार्य दो वार्षिक बैठकें नहीं हुई थी और अप्रैल 2002 से अक्तूबर 2008 के दौरान केवल तीन बैठकें हुईं थी। यह शिखर स्तर पर अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता था।

इस प्रकार डीटीआर एण्ड डीसी के परियोजना कार्यकलापों में अपर्याप्त जनशक्ति तथा संसाधनों के कारण चाय उद्योग को उपयोग हेतु कोई लाभदायक परिणाम नहीं दिया। मंत्रालय ने अक्तूबर 2009 में सहमति जताई कि वैज्ञानिक जनशक्ति तथा ढ़ांचागत विकास की कमी के कारण उद्योग को प्रकाशन तथा व्यवहारों के पैकेज के विकास के रूप में अनुसंधान का पर्याप्त योगदान नहीं हुआ था।

भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित अन्य अनुसंधान संगठन

7.3 भारत सरकार चाय बोर्ड के योजनागत बजट से निर्दिष्ट सीमा के अधीन कुछ अनुमोदित प्रशासनिक मदों[52] पर उनके वार्षिक खर्च के 49 प्रतिशत योगदान द्वारा चाय अनुसंधान संस्था (टीआरए) तथा दक्षिण भारतीय संयुक्त बागान मालिक संघ – चाय अनुसंधान फाउंडेशन (यूपीएएसआई – टीआरएफ) की सहायता करती है। चाय बोर्ड ने 2004–05 से 2010–11 के दौरान यूपीएएसआई – टीआरएफ को ₹8.15 करोड तथा टीआरए को ₹43.07 करोड की राशि जारी की थी। इसके अतिरिक्त कथित अवधि के दौरान अनुसंधान अनुदान के रूप में यूपीएएसआई – टीआरएफ तथा टीआरए को बोर्ड द्वारा ₹4.86 करोड तथा ₹16.45 करोड की राशि जारी की गई थी। इन संगठनों को सोंपे गए उत्तरदायित्व नीचे दिए गए है।

टीआरए तथा यूपीएएसआई – टीआरएफ के निष्पादन की निगरानी करने के लिए चाय बोर्ड के उत्तरदायित्व

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता अनुदान परिकल्पित उद्देश्यों हेतु इन अनुसंधान संगठनों द्वारा खर्च किया गया है।

- इन संगठनों से यथावत लेखापरीक्षित तथा उनके संबंधित परिषद/न्यासी बोर्ड द्वारा पारित पूर्व वित्त वर्ष के उनके लेखे 30 सितम्बर तक बोर्ड को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- चाय बोर्ड से अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराना तथा निधियों के उचित उपयोग की जबावदेही सुनिश्चित करना अपेक्षित है।
- मंत्रालय ने यूपीएएसआई – टीआरएफ तथा टीआरए द्वारा आरम्भ किए गए अनुसंधान कार्यकलापों की निगरानी तथा मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने और यह सुनिश्चित करने कि अनुसंधान परिणाम अन्तप्रयोक्ताओं तक फैलाए गए थे, के लिए कदम उठाने के लिए चाय बोर्ड को निर्देश दिए।

चाय बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा करने में विफलता

7.3.1 हमने देखा कि चाय बोर्ड ने केवल दिसम्बर 2005 में 2001–02 से 2004–05 तक की अवधि के लिए टीआरए की लेखापरीक्षा की थी। चाय बोर्ड ने उसके बाद टीआरए की लेखापरीक्षा नहीं की थी। चाय बोर्ड ने 2002–03 से 2007–08 तक की अवधि के लिए यूपीएएसआई – टीआरएफ की भी लेखापरीक्षा नहीं की थी। 2008–09 के दौरान इन संस्थाओं की लेखापरीक्षा कराने की स्थिति को सूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके द्वारा जारी निधियां उन प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई थी जिनके लिए ये जारी की गई थी, के लिए चाय बोर्ड में कोई तन्त्र नहीं था।

[52] अनुमोदति प्रशासनिक मदों में उपदान सहित वेतन तथा भत्तें, पी.एफ. तथा चिकित्सा खर्चे (पेंशन छोड़कर), बैठकों तथा सम्मेलनों, सेमीनार तथा प्रशिक्षण पर खर्चे, उपभोज्य, विद्युत तथा जल आपूर्ति, मुद्रण तथा स्टेशनरी, पोस्टेज एवं टेलीग्राम, यात्रा खर्चे, किताबें तथा पत्रिकाएं और क्लोनल चयन तथा नर्सरी शामिल हैं।

मंत्रालय ने अक्तूबर 2009 में सहमति जताई कि टीआरए तथा यूपीएएसआई – टीआरएफ की लेखापरीक्षा करने में नियमितता में कमी हुई थी और वे भविष्य में इसे नियमित आधार पर करेंगे।

भारत सरकार पर वित्तपोषण की बढ़ती निर्भरता

7.3.2 हमने देखा कि यद्यपि वर्ष 2003–04 तक चाय बार्ड ने इन अनुसंधान संगठनों के वार्षिक व्यय का यथापरिकल्पित 49 प्रतिशत जारी किया परन्तु 2004–05 से आगे भारत सरकार की प्रतिशतता भागीदारी 80 प्रतिशत तक बढ़ गई थी क्योंकि ये संगठन अपना स्वयं का खर्च पूरा करने में असमर्थ थे। दूसरी ओर सदस्य चाय बागानों से अंशदान की विशाल राशि ₹5.86 करोड 2002–03 से 2008–09 के दौरान टीआरए के संबंध में बकाया पडी थी। यूपीएएसआई – टीआरएफ के संबंध में बकाया अंशदान भेजे नहीं गए थे। इसके कारण भारत सरकार के वित्तपोषण पर निर्भरता में वृद्धि हुई।

मंत्रालय ने बताया कि चाय बोर्ड तथा टीआरए दोनों उद्योग के साथ बकाया अंशदान के इस विषय का लगातार अनुसरण कर रहे है और पूर्व वर्षों की तुलना में कुछ सुधार हुआ है।

अनुसंधान कार्यकलापों के मूल्यांकन तथा निगरानी नियंत्रण का अभाव

7.3.3 हमने देखा कि उनके द्वारा आरम्भ की गई अनुसंधान परियोजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए चाय बोर्ड द्वारा कोई तन्त्र स्थापित नहीं किया गया था। इन संगठनों ने ₹22.52 करोड के खर्च पर 1997 से 2009 तक 34 परियोजनाएं आरम्भ की और 19 परियोजनाएं पूर्ण की थी। हमने ₹7.09 करोड की लागत की 10 (50 प्रतिशत) परियोजनाओं की समीक्षा की और देखा कि:

- चार परियोजनाओं में उद्योग के उपभोक्ता के लिए प्रौद्योगिकी को वाणिज्यिकीकृत नहीं किया गया था यद्यपि यह विकसित की गई।
- शेष छः परियोजनाओं में कोई प्रौद्योगिकी विकसित नहीं की गई थी।

टीआरए तथा यूपीएएसआई – टीआरएफ के अनुसंधान कार्यकलापों की निगरानी तथा मूल्यांकन करने के निर्देशों के बावजूद प्रकाशित अनुसंधान पेपरों की संख्या, उनका प्रभाव घटक, दाखिल किए गए तथा मंजूर किए गए पेटेंट और विकसित, हस्तान्तरित तथा वाणिज्यिकवृत प्रौद्योगिकियां आदि से संबंधित कोई सूचना चाय बोर्ड के पास नहीं थी।

एक्जिट कान्फ्रेंस के दौरान मंत्रालय/चाय बोर्ड सहमत हुए कि इन अनुसंधान संगठनों के निष्पादन की निगरानी करने तथा मूल्यांकन करने के लिए कड़ा नियंत्रण स्थापित किए जाने की आवश्यकता है ताकि मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदानों के लिए उन्हें जबावदेह बनाया जा सके।

सूचना पारदर्शिता–आईटी पोर्टल का विकास

7.4 चाय बोर्ड ने विश्वव्यापी रूप से सूचना के समेकन तथा प्रचार को सुगम करने के लिए आईटी ढांचे का विकास आरम्भ किया था। योजना में निम्नलिखित तिहरे उद्देश्यों के साथ विश्वव्यापी वेब पर भारतीय चाय पोर्टल स्थापित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम निर्धारित किया गया।

- भारत तथा विदेश दोनों में चाय उद्योग के लिए भारतीय चाय के बारे में प्रचार करना,
- भारतीय चाय के व्यापार के लिए एक दक्ष बाजार स्थान सृजित करने की उनकी पहलों में विभिन्न चाय नीलामी केन्द्रों की सहायता करना, और
- उन क्षेत्रों, जो प्राथमिक रूप से चाय उद्योग पर निर्भर है, में सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी उत्पन्न करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने जुलाई 2003 में ₹23.01 करोड़ की लागत पर 'आईटी आधारित सूचना प्रचार योजना की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन तथा कार्यान्वयन' नामक अनुसंधान

परियोजना अनुमोदित की। अनुमोदन सूचित करते समय मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि सरकार/चाय बोर्ड 2004–05 के बाद कोई आवर्ती व्यय वहन नहीं करेंगे और इसे वर्ष 2005–06 से आगे चाय उद्योग द्वारा वहन किया जाना चाहिए। नवम्बर 2002 में चाय बोर्ड ने आईबीएम इण्डिया लिमिटेड को 'इलैक्ट्रानिक कामर्स सल्यूशन की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन तथा कार्यान्वयन' का कार्य सौंपा था। कार्य क्षेत्र में तकनीकी वास्तुशिल्पीय डिजाइन, कारोबार अपेक्षा विनिर्देशन (बीआरएस) तथा परिभाषित कारोबार आवश्यकताओं तथा प्रणाली कार्यात्मकता पूरी करने के लिए विस्तृत प्रणाली डिजाईन एवं प्रतिस्थापित करना, चालू करना तथा निर्माण जांच योजना शामिल है। तथापि परियोजना पूर्ण नहीं की जा सकी और ₹17.26 करोड़ का व्यय करने के बाद चाय बोर्ड ने ₹9.35 करोड़ की लागत पर सितम्बर 2007 में कार्य एक अन्य विक्रेता अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई, आईटी) की सूचना प्रौद्योगिका शाखा को सौंप दिया था। चाय बोर्ड ने अक्तूबर 2009 में एक्जिट कान्फ्रेंस के दौरान सूचित किया कि नया विकसित सॉफ्टवेयर कार्यशील था।

परियोजना की योजना में कमियां

7.4.1 इस संबंध में हमने देखा कि परियोजना तथा इसके निष्पादन की योजना दोषपूर्ण थी जैसी नीचे चर्चा की गई है:

- मंत्रालय ने वर्गीकृत परियोजना का अनुमोदन करते हुए बताया कि चाय बोर्ड 2004–05 के बाद किसी आवर्ती व्यय को वहन नहीं करेगा और कि उसे वर्ष 2005–06 के आगे से उद्योग द्वारा वहन किया जाना चाहिए। तथापि हमने देखा कि चाय बोर्ड ने उद्योग से किसी बचनबद्धता के बिना परियोजना आरम्भ की और 2003–04 से 2007–08 तक के दौरान ₹6.71 करोड़ का आवर्ती व्यय किया था। जो ₹4.31 करोड़ की संस्वीकृत निधियों से ₹2.40 करोड़ अधिक था। मंत्रालय ने बताया कि बोर्ड तीसरे वर्ष से आगे राजस्व व्यय की भागीदारी के बोझ को उद्योग को हस्तान्तरित नहीं कर सका क्योंकि ई नीलामी प्रणाली उस समय तक पूर्णतया कार्यशील नहीं थी और उनकों सोंपी नहीं जा सकी थी। हमने आगे देखा कि चाय बोर्ड ने निर्दिष्ट अवधि के बाद आवर्ती व्यय के वित्तपोषण का उत्तरदायित्व लेने के लिए उद्योग से औपचारिक वचनबद्धता प्राप्त किए बिना फिर एनएसई–आईटी को नये आईटी पोर्टल का ठेका सौंप दिया था। कारोबार आवश्यकताओं तथा प्रणाली कार्यात्मकता के बीच अन्तर था क्योंकि आईबीएम द्वारा तैयार किया गया बीआरएस व्यापक नहीं था। उस हैसियत से वांछित सॉफ्टवेयर विकसित नही किया जा सका और परियोजना लागू नहीं की जा सकी थी।

- अनुबन्ध में शास्ति खण्ड के अभाव में बोर्ड आईबीएम पर जुर्माना नहीं लगाया जा सका और हानि वहन करनी पड़ी जैसा कि निम्न पैरा में चर्चा की गई।

परियोजना निष्पादन में कमियां

7.4.2 चाय बोर्ड ने नवम्बर 2002 से मार्च 2008 तक पूंजीगत मदों के लिए ₹10.55 करोड़ तथा आवर्ती व्यय के लिए ₹6.71 करोड़ खर्च किए। साफ्टवेयर के कार्यान्वयन के दो घटक थे। पहले भाग में इंटरनेट हाउसिंग तथा संचार सेवाएं, प्रणाली एकीकरण तथा प्रचालन प्रबन्धन, और आईटी पोर्टल सहायक सेवाएं आदि के लिए ₹9.35 करोड़ की लागत पर दिए गए थे। दूसरे घटक में ₹6.87 करोड़ की अनुमानित लागत पर सर्वर तथा अन्य संबंधित हार्डवेयर, 265 पीसी व 480 लेपटोप लेने थे। इस संबंध में हमने निम्नलिखित देखा था:

- आवर्ती व्यय के प्रति ₹6.71 करोड़ की राशि निष्फल रही क्योंकि इन सेवाओं के सेवा ठेके समाप्त कर दिए गए थे। ₹2.16 करोड़ का हार्डवेयर ₹0.43 करोड़ की हानि पर बेच दिया गया था।

- नीलामी केन्द्रों के लिए खरीदे गए लेपटाप तथा पीसी ₹4.71 करोड़ का व्यय अवरूद्ध कर 2003 से निष्क्रिय थे। नए परिवेश में इन्हें अनुकूल बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को इन

लेपटाप तथा पीसी की रैम 256 एमबी से 512 एमबी तक बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें अतिरिक्त व्यय अपेक्षित होगा।

मंत्रालय ने सहमति दर्शाई और अक्तूबर 2009 में बताया कि परियोजना में किए गए निवेश को बचाने के लिए बोर्ड ने सभी सम्भावित कदम उठाए थे परन्तु पूर्व में खरीदे गए हार्डवेयर का उपयोग करना लागत प्रभावी समाधान नहीं था इसलिए उसे बेचने का निर्णय लिया गया था।

चाय सांख्यिकी अद्यतन न करना

7.5 हमने देखा कि चाय बोर्ड की सांख्यिकी 2005–06 तक प्रकाशित की गई थी। चाय बोर्ड की वेबसाइट पर केवल 2003–04 तक की सांख्यिकी दर्ज की गई थी। इस प्रकार सांख्यिकी के देर से प्रकाशन के परिणामस्वरूप चाय उद्योग के डाटा का अल्प प्रचार हुआ था।

आई.टी. पोर्टल के विकास पर ₹26.61 करोड़ का व्यय करने के बावजूद चाय बोर्ड चाय सांख्यिकी के अद्यतन डाटा के साथ वेबसाइट अनुरक्षित करने में असमर्थ था।

हमारी सिफारिशें तथा चाय बोर्ड की प्रतिक्रिया

7.6 हमने नवम्बर 2009 में सिफारिश की कि बोर्ड पेपरों तथा विकसित/हस्तान्तरित व्यवसायीकृत तथा पेटेंट कृत प्रौद्योगिकी प्रभाव घटक के साथ साथ प्रकाशित पेपरों के रूप में प्रभावकारिता सुनिश्चित करते हुए चाय अनुसंधान के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक जनशक्ति तथा अन्य संसाधन मुहैया करे। हमने यह भी सिफारिश की कि चाय बोर्ड यूपीएएसआई तथा टीआरए जैसे बाह्य अनुसंधान संस्थाओं द्वारा खर्च किए गए धन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और आईटी पोर्टल के लाभदायक/प्रभावी कार्यान्वयन तथा ई–कॉमर्स पहल की निरन्तरता के लिए उद्योग की औपचारिक बचनबद्धता प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तन्त्र विकसित करें।

चाय बोर्ड ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और अक्तूबर 2010 में बताया कि निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे।

- उपकरण संवर्धन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना सहित मूलभूत सुविधाओं का विकास।
- जारी निधियों की निगरानी और तिमाही आधार पर निष्पादन पर आधारित निधि उपयोग तन्त्र को सुदृढ़ करना तथा वर्ष में एक बार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई गई चाय अनुसंधान सम्पर्क समिति द्वारा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का मूल्यांकन।
- सीएसआईआर तथा आईसीएआर जैसी स्वतन्त्र एजेंसियों द्वारा मध्यावधि वैज्ञानिक समीक्षा आयोजित करना और सीएसआईआर स्वीकृत प्रणाली के अनुरूप वैज्ञानिक मूल्यांकन के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा/परिणाम लेखापरीक्षा।
- प्रत्येक वैज्ञानिक/विभाग/संस्थान के लिए प्रभाव घटकों के साथ समान पदस्थ समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाने वाले अनुसंधान पेपरों की अनिवार्य संख्या प्राप्त करना और पेटेंटिंग (उत्पाद/प्रक्रिया) जहॉ कहीं लागू हो, प्रोत्साहित करना।

चाय बोर्ड ने मार्च 2012 तक कार्यान्वयन हेतु समयसीमा प्रस्तावित की।

निष्कर्ष **7.7** अनुसंधान कार्यकलाप लाभदायक नहीं थे क्योंकि चाय उद्योग के उपयोग हेतु न तो कोई प्रदेय लक्ष्य हस्तान्तरित किया गया था और न ही जनशक्ति तथा संसाधनों की पर्याप्त निगरानी तथा कमी के कारण कोई पेटेंट दाखिल किया गया था। अनुसंधान गतिविधियों के परिणाम बाह्य संस्थाओं–यूपीएएसआई–टीआरएफ व टीआरए को दिये गये प्रोत्साहन के अनुरूप नहीं थे। नियामक तथा विकास भूमिका रखने के बावजूद चाय बोर्ड आईटी पोर्टल परियोजना की ई–कॉमर्स पहल के कार्यन्वयन को चाय उद्योग के समानान्तर लाने में असफल रहा जिससे इसकी पहल की सफलता प्रभावित हुई और राजस्व/पूंजीगत लेखे पर ₹7.14 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया था। चाय बोर्ड को अभी आईटी पोर्टल परियोजना पश्च कार्यान्वयन प्रचालित करने के लिए उद्योग से वित्तीय वचनबद्धता सुरक्षित करनी थी।

हमारा विचार है कि अनुसंधान के परिणामों को सुधारने के लिए हमारी सिफारिश है कि अनुसंधान के परिणामों को प्रभावी निगरानी प्रणाली के साथ–साथ चाय अनुसंधान के लिए पर्याप्त जनशक्ति तथा अन्य संसाधन सुनिश्चित करके किया जा सकता हैं। इसके अलावा, आईटी पोर्टल परियोजना की सफलता चाय उद्योगों सहर्ष सहायता में बांधने की चाय बोर्ड की समर्थता पर निर्भर होगी।